न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–54 सन् 2018

मुनेश्वर ठाकुर वो अन्य.....वादीगण

बनाम

गजेन्द्र सिंह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 07.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी हैं। आज अभिलेख वादीगण की ओर से आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत एवं आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 29.11.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में वादी सं0 01 मुनेश्वर ठाकुर की मृत्यु दिनांक 01.11.2020 को अपने वारिसान मनोज ठाकुर वो दोख्तर सुनीता देवी वो चंदा देवी को छोड़कर फौत कर गये। मोकदमाा को अग्रसारित करने के लिए उपरोक्त वाद में मुनेश्वर ठाकुर का नाम कलमजद करके उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित होना जरूरी है। वादी देहाती आदमी है इसलिए कानून की जानकारी नहीं होने के कारण ससमय प्रतिस्थापना आवेदन देने में जानबूझकर विलंब नहीं किया है। अतः निवेदन है कि वादी के द्वारा दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकार किया जाए। वादी के तरफ से विलंब माफ करने हेतु तथा अबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 20.12.2021 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि वादी सं0 01 मुनेश्वर ठाकुर की मृत्यु

दिनांक 01.11.2021 को हो गई है जैसा की वादी ने आवेदन में स्वीकार किया है। वादी सं0 02 प्रतिस्थापना आवेदन लगभग 01 वर्ष विलंब से दाखिल किया है। वादी अपने आवेदन में कहा है कि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण अपने अधिवक्ता को समय पर जानकारी नहीं दिए हैं। वादी की ओर से दिए गए प्रतिस्थापना आवेदन बिना किसी आधार के विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद का उपसमित हो गया हैं। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 मुनेश्वर ठाकुर थे जिनकी मृत्यु दिनांक 01.11.2020 को अपने वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है एवं वाद अवेंट कर गया है। वादी की ओर से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा आदेश 22 नियम 9 तहत अबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं अबेटमेंट सेटेसाईट करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान कर वादी सं0 01 मुनेश्वर ठाकुर का नाम काटकर उनके जायज वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 28.07.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।